6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नेक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

SU/FIN/F-3/136/2018/496 दिनांक: 27.08.2020

परिपत्र - 30/2020

विषय : सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारियों, प्रधान अन्वेषकों/सह प्रधान अन्वेषकों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से एफ़जी-1, जीएफ़-2 और एफ़आर-1, एफ़आर-2 प्रपत्र प्रस्तुत करना

यह सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारियों, प्रधान अन्वेषकों/सह प्रधान अन्वेषकों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सूचनार्थ है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रभारियों को प्रपत्र एफ़जी-1 और एफ़जी-2 तथा शोध परियोजनाओं के सभी प्रधान अन्वेषकों/सह प्रधान अन्वेषकों को एफ़आर-1, एफ़आर-2 वितरित किया है। विभागों, प्रधान अन्वेषकों/ सह-प्रधान अन्वेषकों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा किए गए संबन्धित व्यय की प्रकृति की पहचान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रपत्रों की मुद्रित प्रति परिचालित किया गया था।

दिनांक 03.06.2020 को सभी विभागाध्यक्षों/प्रभारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गयी थी और मई, 2020 में प्रपत्र वितरित किए गए थे।

हालांकि, यह देखा गया है कि विभागाध्यक्ष/प्रभारियों, प्रधान अन्वेषक/सह प्रधान अन्वेषक, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी ने इन प्रपत्रों को संलग्न किए बिना की फ़ाइल/दस्तावेज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके कारण वित्त विभाग में फ़ाइलों/दस्तावेजों के निष्पादन की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है।

प्रपत्र सं	लागू	प्रपत्र किसे भेजे गए
एफ़जी - 1 (सामान्य व्यय)	प्रतिपूर्ति/पुनरप्राप्ति/समायोजना के लिए व्यय का विवरण	विभागाध्यक्ष/प्रभारी
एफ़जी - 2 (सामान्य विक्रेता/एजेंसी)	विक्रेता/एजेंसियों के भुगतान के लिए व्यय का विवरण	
एफ़आर - 1 (सामान्य शोध)	प्रतिपूर्ति/समायोजना के लिए व्यय का विवरण	पीआई/सह-पीआई
एफ़आर - 2 (शोध विक्रेता/एजेंसी)	विक्रेता/एजेंसी के भुगतान के लिए व्यय का विवरण	

अत: सभी विभागाध्यक्षों/प्रभारियों, प्रधान अन्वेषकों/सह प्रधान अन्वेषकों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से निवेदन है कि वे अनुमोदन और भुगतान के संवितरण के लिए फ़ाइल/दस्तावेजों को प्रस्तुत करते समय बिल/वाउचरों के साथ-साथ शीर्ष-पत्रक के रूप में अपने खर्च की प्रकृति के आधार पर इन प्रपत्रों को भी साथ संलग्न करें। अन्यथा फाइलों को आगे के कार्य करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

देबाशीष पाल

(देबाशीष पाल)

वित्त अधिकारी

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष-2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. पुस्तकालयाध्यक्ष
4. परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी)
5. छात्र कल्याण डीन सही सभी अध्ययन विद्यापीठों के डीन
6. सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रभारी
7. विश्वविद्यालय के सभी प्रधान अन्वेषक/सह प्रधान अन्वेषक
8. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी
9. सभी शिक्षण कर्मचारी
10. सभी गैर-शिक्षण कर्मचारी
11. सिस्टम एनालिस्ट - सिक्किम विश्वविद्यालय की वैबसाइट में इस परिपत्र को अपलोड करने के निवेदन के साथ
12. सभी सूचना पट
13. सुरक्षा फ़ाइल